

में,

वन क्षेत्राधिकारी,
लोहाघाट।

यः-

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अवनत वन भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

मः-

अधिशायी अभियन्ता, प्रा०ख०, लो०नि०वि०, चम्पावत का पत्रांक 1118/2सी दि० 24.07.2018।

दयः

उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि लो०नि०वि० चम्पावत को विभिन्न वन भूमि हस्तान्तरण प्रणाली के सापेक्ष अवनत वन भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना की आवश्यकता है। अतः आप अपने क्षेत्रान्तर्गत लो०नि०वि० 70.00 हे० अवनत वन भूमि चिन्हित कर क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना सम्बन्धित विभाग को उपलब्ध कराना निश्चित करें।

भवदीय

(कुबेर सिंह बिष्ट)

प्रभागीय वनाधिकारी

चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

पत्रांक

520 / 12-1

उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि अधिशायी अभियन्ता, प्रा०ख०, लो०नि०वि० चम्पावत को उनके उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अनुरोध एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कुबेर सिंह बिष्ट)

प्रभागीय वनाधिकारी

चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।